

वित्त मंत्रालय

## सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

Posted On: 21 AUG 2017 7:03PM by PIB Delhi

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है :-

- 1. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए **3,000 करोड़ रुपये** (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 'भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बांड 2024'
- 2. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए **8,000 करोड़ रुपये** (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '6.79 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2027'
- मूल्य आधारित नीलामी के जिरए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '7.73 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2034'
- 4. मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046'

भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय द्वारा ये नीलामियां 24 अगस्त, 2017 (बृहस्पतिवार) को आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग किया जाएगा।

सरकारी प्रतिभृतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां **24 अगस्त, 2017** को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्ट्म पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर प्रात: 11.30 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहि।

इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 24 अगस्त, (बृहस्पतिवार) 2017 को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 28 अगस्त, 2017 (सोमवार) को किया जायेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक 'व्हेन इश्यूड' ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए दिनांक 16 नवंबर, 2006 को जारी परिपन्न संख्या आरबीआई/2006-07/178 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।

\*\*\*

वीके/आरके/वाईबी - 3488

(Release ID: 1500271) Visitor Counter: 5

f







in